कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30 / 04 / 2017.

क्रमांक– 1357 / 107 / आउशि / सम्बद्वता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्व संस्थाओं / समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15 / 03 / 2017 के विरूद्व संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000 / – के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	उत्तम श्रृजन एजुकेशन सोसायटी, जावरा रोड,रतलाम
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	श्रृजन कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज,जावरा रोड,रतलाम
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1–बी0एस0सी0–प्रथम(फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्रीयल,माईक्रोबायोलाजी) अति0वि0–जूलाजी,कम्प्यूटर साइंस एवं गणित,बायोटेक्नालॉजी,सीड 2–बी0कॉम0–प्रथम
4	आदेश क्रमांक – 584 / 378 / आउशि / सम्बद्वता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	1–धारा 27 की सूची 2013 की है,नवीन सूची फर्म एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित अप्राप्त है 2.भवन निर्माण अनुमति 01 / 03 / 2008 को इंजीनियरिंग महा0 हेतु प्राप्त की गई है। 3.भवन का नक्शा समिति के नाम से न होकर प्रस्तावित महा0 के नाम से है 4.भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शासकीय निकाय का प्रस्तुत नहीं किया गया है। 5. आडिट रिर्पोट में समिति द्वारा महा0 भी सचांलित होना प्रतीत होता है। 6. अपर कलेक्टर के प्रमाण पत्र 20 कि0मी. परिधी में अशासकीय महा0 संचालित है जबकि अग्रणी महा0 द्वारा आवेदित पाठ्यक्रमों के संबन्ध में प्रद्दत प्रमाण पत्र में विषय के स्थान पर विषय समूह संचालित होने के संबन्ध में निल जानकारी दी गई है।

5	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नही की गई	
6	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	——निरंक——
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1–बी0एस0सी0–प्रथम(फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्रीयल,माईक्रोबायोलाजी) अति0वि0–जूलाजी,कम्प्यूटर साइंस एवं गणित,बायोटेक्नालॉजी,सीड 2–बी0कॉम0–प्रथम

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–1358/107/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 20/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन(म0प्र0)।
4– कुल सचिव,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.